**मीरजापुर पुलिस**
**प्रेस नोट**

दिनांकः 29.07.2022

**अन्तर्जनपदीय चोरो के गैंग द्वारा 30 बोरी जलनिगम के लोहे के पाइप का टुकड़ा कुल वजन लगभग 20 कुंतल व घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार —**

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्धतथा चोरी की सामग्री की अवैधबिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।

दिनांक 27.07.2022 को थाना विंध्याचल क्षेत्रांतर्गत महुआरी खुर्द निवासी राजाराम (ऑपरेटर उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग) द्वारा थाना स्थानीय पर विजयपुर कामापुर पेयजल योजना में लगे पाइप लाइन को अज्ञात चोरो द्वारा काट ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना विंध्याचल पर अज्ञात चोरो के विरूद्ध मु 0अ0सं0-132/2022 धारा 379 भादवी पंजीकृत किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मेंदिनांक 28.07.2022 को उ0नि0 भरतलाल पाण्डेय मय पुलिस टीमक्षेत्र में भ्रमणशील थे इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम भटेवरा पर 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 30 बोरी जल निगम का लोहे का पाइप का टुकड़ा व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल संख्या UP 63 Q 5695 व UP 63 AK 9452 बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—**

1. जीतेन्द्र बिंद पुत्र जोगी बिंद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी सेतुहार थाना विंध्याचल जनपद मीरजापुर।
2. सुरेश बिंद पुत्र बाबूलाल बिंद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी सेतुहार थाना विंध्याचल जनपद मीरजापुर।
3. शिव दुलार गुप्ता पुत्र स्व0 सोमनाथ उम्र् करीब 60 वर्ष निवासी भटेवरा थाना विंध्याचल जनपद मीरजापुर।

**बरामदगी विवरण—**

- 30 बोरी जल निगम का लोहे का पाइप का टुकड़ा कुल वजन करीब-20 कुंतल।
- 02 अदद मोटर साइकिल संख्या UP 63 Q 5695 व UP 63 AK 9452

**पंजीकृत अभियोगः—**

मु0अ0सं0-132/2022 धारा 379, 411,414 भादवीव धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधीनियम।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—**

उ0नि0 भरतलाल पाण्डेय थाना विंध्याचल मीरजापुर मय पुलिस टीम।

**पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 10 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।**